पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक—आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून—248002

दूरभाष नं0 0135—2645249 फैक्स नं0 0135—2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

दिनांकः 30.08.2019

पत्रांकः 1221 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईएस—7

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा शासनादेश संख्या 1710(2)/xxx(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 तथा उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2895 निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / का0जी0 दिनांक 01.05.2012 एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2700—यूजेवीएनलि / 05 / एचआर / कार्मिक / अनु0—III / ए—27 दिनांक 14.03.2013 के अनुरूप पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0 के नियंत्रणाधीन नियमित वाहन चालकों, जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी सरकारी कार्य करना पड़ता है, की कठिन सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के मूल वेतन के बराबर प्रतिपूर्ति धनराशि, जिसमें महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते सम्मिलित नहीं हैं, इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जाती है कि सम्बन्धित वाहन चालक के नियंत्रक अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत वाहन चालक ने उक्तानुसार अवकाश के दिनों में भी वाहन परिचालन का कार्य किया है।

उपर्युक्त सुविधा उन्हीं वाहन चालकों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। उक्त प्रतिपूर्ति धनराशि 12 माह की सेवा के आधार पर सम्बन्धित वर्ष की पहली मार्च में देय मूल वेतन के आधार पर भुगतान की जायेगी। वर्ष के मध्य में सेवा मुक्त होने वाले वाहन चालकों को समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा देय होगी। ऐसे वाहन चालक जो वर्ष के दौरान किसी समय सेवा प्रारम्भ करते हैं, उन्हें भी समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा देय होगी।

यह मानदेय उन वाहन चालकों को अनुमन्य नहीं होगा जो अपनी ड्यूटी के दौरान अतिरिक्त कार्य हेतु अतिकाल भत्ता (Over Time) आहरित कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 2165 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी—1 दिनांक 07.11.2007 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1221 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ईएस—7 दिनांकित्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सहायक—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (वित्त) / (परिचालन) / (परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
5. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)